

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया

पत्रांक

/2017 न0पा0परि0 (2017-18)

दिनांक : 19.09.2017

अल्पकालिक निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु निम्नलिखित सामग्री कय करने हेतु दिनांक- 26.09.2017 को अपराहन 3 बजे तक निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अधीन मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताओं अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के उपस्थिति में खोली जायेगी। सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक- 21.09.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 /के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया-प्रति मूल्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। सामग्री आपूर्ति की निविदा प्रपत्र आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत फर्म को ही विक्रय की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दें। टेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

सामग्री का विवरण

क्रम सं०	सामग्री का नाम	घरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	आपूर्ति की अन्तिम तिथि
1	सोडियम बल्ब 70 वॉट (हेवेल्स मेक)	50000.00	1000.00	25.09.2017
2	चोक 70वॉट (हेवेल्स मेक)			
3	कन्डेन्सर 70वॉट (हेवेल्स मेक)			
4	इन्वेंटर 70वॉट (हेवेल्स मेक)			
5	2.50 एम0एम0 तार (हेवेल्स मेक)			
6	चोक 400वॉट (हेवेल्स मेक)			
7	कन्डेन्सर 400वॉट (हेवेल्स मेक)			
8	इन्वेंटर 400वॉट (हेवेल्स मेक)			
9	एल0ई0डी0 बल्ब 9वॉट (हेवेल्स मेक)			
10	टेप			

नियम व शर्तें-

- निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं पंजियन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सामग्री आपूर्ति में पालिका द्वारा निर्धारित जमानत/घरोहर धनराशि किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/ एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0/पी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।
- निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर फर्म/टेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प कय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा। कार्य/दर स्वीकृति के पश्चात् अनुबन्ध तीन दिन के अन्दर न करने पर टेका अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- जमानत की धनराशि, आपूर्ति की गयी सामग्री संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
- निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से प्रति दर में देनी होगी।
- किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है।

(अवधेश सिंह)

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद गौरा बरहज

देवरिया

पत्रांक 300/117 नपा०परि० (2017-18) तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर घुस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "~~दैनिक समाचार पत्र~~ ~~एक दैनिक समाचार पत्र~~ ~~देवरीया~~....." को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन०आई०सी० कार्यालय, देवरिया।

अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

16/8/17